राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड
छत्तीसगढ़ शासन
मंत्रालय के पास, शास्त्री चौक,
रायपुर छ.ग.–492001

क्र./105/एसआईपीबी/04 -1370   रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव
   छत्तीसगढ़ शासन
   .... विभाग

2. उद्योग आयुक्त,
   छत्तीसगढ़ रायपुर

3. प्रबंध संचालक,
   सीएसआईडीसी, रायपुर

4. समस्त कलेक्टर्स
   .... (छत्तीसगढ़)

5. समस्त महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
   ....(छत्तीसगढ़)

विषय :– **छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम (क्रमांक–7 सन् 2002) के अंतर्गत निवेशकों की औद्योगिक परियाजनाओं की स्थापना के लिए आवश्यक क्लीयरेंस प्राप्त करने "एकल सम्पर्क बिन्दु" (Single Point Contact) प्रणाली का लागू किया जाना ।**

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 में हाल ही में किये गये संशोधन उपरांत उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि रूपये 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का कार्यालय एवं रूपये 10 करोड़ तक के निवेश प्रस्तावों के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एकल सम्पर्क बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए "नोडल एजेंसी" होंगे । अधिनियम के तहत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004 बनाये गये हैं, जिसकी एक प्रति संलग्न है । ये नियम राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो जाएंगे ।

2. नियमों के प्रभावशील होने पर निवशेकों द्वारा अपनी परियोजनाओं से संबंधित सभी आवश्यक क्लियरेंस प्राप्त करने के लिए "एकल आवेदन फार्म" (Common

Application Form) संबंधित नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किये जाएंगे जो आवेदनों को संबंधित एजेंसियों/विभागों को अग्रेषित करेंगी । राज्य शासन के विभागों/एजेंसियों द्वारा नियमों की तालिका– एक में दी गई सेवायें उनके सम्मुख उल्लेखित कालावधि के भीतर निवेशक को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

3. कृपया छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004 के प्रावधानों से आपके अधीनस्थ सभी संबंधित कार्यालयों को अवगत कराते हुए नियमों के अनुसार कार्रवाई करने की तैयारी करने बाबत आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें । नियमों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख आपको पृथक से सूचित की जाएगी ।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

(शिवराज सिंह) 22/12/200
प्रमुख सचिव सह संयोजक

पृष्ठा. क्र./105/एसआईपीबी/04 रायपुर, दिनांक दिसम्बर, 2004

प्रतिलिपि :–

मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय रायपुर

22/12/0
प्रमुख सचिव सह संयोजक

विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा
यथा अनुमोदित/पुनरीक्षित प्रारूप.
दिनांक......17-11-04......

/अधिसूचना/

छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :– (1) ये नियम छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2004 कहलायेंगे ।

(2) ये नियम "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(एक) "अधिनियम" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002),

(दो) "तालिका" से अभिप्रेत है इन नियमों की तालिका ;

(तीन) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;

(चार) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य ;

(पॉच) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का जिनका इन नियमों में उपयोग किया गया है, किन्तु उनमें परिभाषित नहीं किया गया है, क्रमशः वही अर्थ होगा, जैसा कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002) में उन्हें दिया गया है ।

3. **नोडल एजेंसियों द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवाएं** :– जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियॉ निवेशक को तालिका–1 में दी गई सेवाएं उनके सम्मुख उल्लिखित कालावधि के भीतर उपलब्ध कराएंगी।

4. **निर्बाधनों के लिए आवेदन** :– (1) निवेशक, औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने के लिए संबंधित नोडल एजेसी के परामर्श से स्थल का चयन करने के पश्चात्, प्रस्तावित निवेश के लिए विभिन्न कानूनों, नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदि के अधीन आवश्यक निर्बाधन प्राप्त करने के लिए संबंधित नोडल एजेंसी को आवेदन करेगा ।

(2) औद्योगिक उपक्रम की स्थापना हेतु निर्बाधन प्राप्त करने हेतु निवेशक एकल आवेदन प्ररूप, जिसमें प्ररूप–एक और तालिका–2 तथा तालिका–3 में दिये गये प्रारूप होंगे, में आवेदन करेगा ।

(3) निवेशक के निवेदन पर एकल आवेदन प्ररूप की मुद्रित प्रतियाँ ऐसा शुल्क भुगतान करने पर जैसा कि राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित करे, नोडल एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाएंगी ।

(4) यदि कोई निर्बाधन एकल आवेदन प्ररूप द्वारा आच्छादित न हो तो निवेशक ऐसी निर्बाधन से संबंधित कानून के अधीन विहित प्ररूप में एक अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(5) एकल आवेदन प्ररूप तथा अतिरिक्त आवेदन प्ररूप, यदि कोई हो तो, शुल्क की रसीदों, संलग्नकों, प्रमाण पत्रों तथा जांच सूची सहित, निवेशक द्वारा सम्यक् रुप से भरे जाएंगे और हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(6) सम्यक् रुप से भरे गये एकल आवेदन प्ररूप तथा अतिरिक्त आवेदन प्ररूप, यदि कोई हो तो, अपेक्षित प्रतियों में यथास्थिति जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(7) निवेशक द्वारा नोडल एजेंसी को एकल आवेदन प्ररूप तथा अतिरिक्त आवेदन प्ररूप प्रस्तुत करते समय, नोडल एजेंसी का अधिकृत प्रतिनिधि अपनी यह संतुष्टि करेगा कि –

(एक) आवेदन प्ररूप सभी दृष्टि से पूर्ण हैं ;

(दो) आवेदन प्ररूप की अपेक्षित संख्या में प्रतियाँ प्रस्तुत की गई है, और

(तीन) समस्त विनिर्दिष्ट दस्तावेज भरे जाकर आवेदन प्ररूपों के साथ संलग्न किए गये हैं;

और नोडल एजेंसी द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाने के प्रमाण के रुप में निवेशक को प्ररूप–दो में अभिस्वीकृति जारी करेगा ।

5. <u>अनुमोदन के लिए आवेदन पर कार्यवाही</u> :–

(1) निवेशक को अभिस्वीकृति जारी करने के तत्काल पश्चात् नोडल एजेंसी का प्राधिकृत प्रतिनिधि आवेदन का विवरण प्ररूप–तीन में संधारित की जाने वाली आवेदनों की पंजी में प्रविष्ट करेगा ।

(2) आवेदनों की पंजी की इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किये गये नोडल एजेंसी के अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(3) उसके द्वारा आवेदन की प्राप्ति से तीन कार्य दिवस के भीतर नोडल एजेंसी आवेदन के सुसंगत प्ररूपों को संबंधित सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित करेगी और उनसे प्ररूप –चार में अभिस्वीकृति प्राप्त करेगी ।

(4) प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी निर्बाधन के आवेदन पर तत्परता से कार्यवाही करेगा तथा तालिका–1 में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर नोडल एजेंसी को अपना निर्णय संसूचित करेगा ।

(5) तालिका–1 में निर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के पूर्व सक्षम प्राधिकारी, नोडल एजेंसी को सूचना देते हुए निवेशक से अतिरिक्त आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेगा ।

परन्तु ऐसी अतिरिक्त जानकारी केवल एक बार मांगी जाएगी ।

परन्तु और यह भी कि जब निवेशक से कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी जाती है, तो तालिका–1 में निर्दिष्ट कालावधि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त होने के दिनांक से लागू होगी ।

(6) नोडल एजेंसी निवेशक को सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय प्ररूप–पांच में संसूचित करेगी ।

6. <u>स्वयमेव अनुमोदन</u> :– यदि कोई सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसी निर्बाधन के संबंध में निवेशक के आवेदन पर तालिका–1 में निर्दिष्ट कालावधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी निर्बाधन दे दी गई है :–

(एक) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योग का प्रस्तावित पंजीयन ;

(दो) छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के अधीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए ग्राम पंचायत द्वारा भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र / अनुज्ञा ;

(तीन) यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 या छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के अधीन औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के लिए नगर पालिका या नगर पालिक निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र ;

(चार) छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अधीन भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए अनुज्ञा ;

(पांच) छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 के अधीन भूमि का औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयोग करने के लिए व्यपवर्तन की अनुज्ञा ;

(छह) औद्योगिक उपक्रम का छत्तीसगढ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 तथा केन्द्रीय वाणिज्यक कर अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीयन; तथा

(सात) विद्युत की उपलब्धता के संबंध में छत्तीसगढ राज्य विद्युत मंडल से प्रमाण पत्र।

7. <u>अनुश्रवण</u> :— (1) जिला स्तरीय नोडल एजेंसी जिला समिति द्वारा आवेदनों निराकरण के संबंध में राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट किये गये प्ररुप में राज्य बोर्ड को एक मासिक प्रतिवेदन भेजेगी ।

(2) जिला समिति तथा राज्य बोर्ड के संयोजक, समिति तथा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में लंबित आवेदनों की स्थिति का प्रतिवेदन यथा स्थिति, समिति या बोर्ड के समक्ष रखेगें ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

तालिका – एक

(देखें नियम – 3, 5 का (4) (5) एवं नियम 6)

स.क्र.	निर्बाधन/कार्यकलाप का नाम	समयसीमा
1	2	3
1.	निवेशक द्वारा अभिरूचि प्रकट करने के उपरान्त संयोजक के साथ प्रारंभिक बैठक	7 दिवस
2.	प्रारंभिक बैठक उपरान्त निवेशक की परियोजना हेतु भूमि चयन हेतु स्थल भ्रमण की व्यवस्था	21 दिवस
3.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में लघु उद्योग का प्रस्तावित पंजीयन	3 दिवस
4.	सीएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक भूमि के आबंटन हेतु आशय पत्र जारी करना	21 दिवस
5.	सीएसआईडीसी/उद्योग संचालनालय द्वारा निवेशक के शासकीय भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव का जिला कलेक्टर को अग्रेषण	21 दिवस
6.	सीएसआईडीसी/उद्योग संचालनालय द्वारा निवेशक के निजी भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव का शासन को अग्रेषण	21 दिवस
7.	शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव का अनुमोदन	30 दिवस
8.	जिला कलेक्टर द्वारा भू–अर्जन अधिनियम 1894 के अधीन धारा 4 की अधिसूचना जारी करना – (अ) निवेशक को प्रत्यंशा क्षतिपूर्ति राशि की सूचना (ब) प्रत्यंशा क्षतिपूर्ति राशि जमा करने के उपरान्त धारा 4 का प्रकाशन	 30 दिवस 7 दिवस
9.	स्टाम्प शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी करना (अ) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र (ब) उद्योग संचालनालय	 7 दिवस 15 दिवस
10.	स्थानीय निकाय से उद्योग स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	30 दिवस
11.	ग्राम पंचायत से भवन निर्माण अनुमति	30 दिवस
12.	भूमि विकास हेतु छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन अनुमति प्रदान करना	60 दिवस
13.	भूमि व्यपवर्तन की अनुमति	90 दिवस
14.	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन किसी भवन के विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए अनुमति प्रदान करना	30 दिवस
15.	जल संसाधन विभाग से जल आबंटन स्वीकृति (अ) आवेदित स्थल पर (ब) अन्य स्थल पर	 60 दिवस 90 दिवस
16.	सी.एस.ई.बी. द्वारा विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करना	30 दिवस
17.	सी.एस.ई.बी. द्वारा एल.टी. कनेक्शन विद्युत प्रदाय की स्वीकृति	45 दिवस
18.	सी.एस.ई.वी. द्वारा एच.टी. कनेक्शन विद्युत प्रदाय की स्वीकृति	60 दिवस
19.	विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र का अनुमोदन	15 दिवस

स.क.	निर्बाधन / कार्यकलाप का नाम	समयसीमा
1	2	3
20.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों हेतु सरलीकृत प्रकिया के अंतर्गत पर्यावरण सम्मति	10 दिवस
21.	उद्योग स्थापनार्थ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अधीन सम्मति	120 दिवस
22.	उद्योग स्थापनार्थ वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन सम्मति	120 दिवस
23.	कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन पंजीयन तथा अनुज्ञप्ति मंजूरी	90 दिवस
24.	कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन प्लान का अनुमोदन और कारखानें के रूप में किसी भवन का निर्माण / विस्तार / उपयोग के लिए अनुज्ञा	90 दिवस
25.	कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन स्थल अनुमोदन खतरनाक प्रकिया वाले कारखानें के लिए	90 दिवस
26.	संविदा श्रमिक (विनिमन एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अधीन स्थापनाओं का पंजीयन	30 दिवस
27.	भारतीय बायलर अधिनियम 1953 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन	30 दिवस
28.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन पंजीयन	1 दिवस
29.	केन्दीय विकय कर अधिनियम 1956 के अधीन पंजीयन	1 दिवस
30.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि पर गैरवानिक प्रयोजन हेतु अनुमति– (अ) नये आवेदन (ब) आवेदन का नवीनीकरण	 90 दिवस 30 दिवस
31.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों का स्थायी पंजीयन	21 दिवस
32.	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र	21 दिवस

प्ररूप – एक

(देखें नियम – 4 (2))

एकल आवेदन प्ररूप

निवेशक की जानकारी

1. निवेशक का विवरण

1.1 निवेशक/कंपनी का नाम : ....

1.2 पंजीकृत कार्यालय का पता : ....

....

दूरभाष .... फैक्स ....

ई–मेल ....

वेबसाइट ....

1.3 चेयरमेन/प्रबंध संचालक का नाम : ....

पता ....

....

दूरभाष .... फैक्स ....

ई–मेल ....

1.4 संस्था का प्रकार (कृपया चिन्ह लगायें)

(1) स्वामित्व	(6) सहकारी समिति
(2) साझेदारी	(7) सार्वजनिक उपक्रम
(3) प्रायवेट लिमिटेड	(8) प्रवासी भारतीय
(4) पब्लिक लिमिटेड	(9) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
(5) संयुक्त उपक्रम	(10) अन्य

1.5 श्रेणी (केवल स्वामित्व हेतु) (कृपया चिन्ह लगायें)

(1) अ.जा. (2) अ.ज.जा. (3) अ.पि.व. (4) महिला

भाग–1–ब

परियोजना की जानकारी

2. परियोजना का विवरण

2.1 इकाई का नाम : ....

पत्र व्यवहार का पता ....

....

दूरभाष .... फैक्स ....

ई–मेल ....

वेबसाइट ....

2.2 प्रस्तावित संस्था का प्रकार (कृपया चिन्ह लगायें)

(1)	स्वामित्व	(6)	सहकारी समिति
(2)	साझेदारी	(7)	सार्वजनिक उपक्रम
(3)	प्रायवेट लिमिटेड	(8)	प्रवासी भारतीय
(4)	पब्लिक लिमिटेड	(9)	विदेशी निवेश
(5)	संयुक्त उपक्रम	(10)	अन्य

2.3 संस्था के निर्गम का दिनांक : ....

2.4 पंजीयन क्रमांक : ....

2.5 प्रबंध संचालक / संचालक का नाम पूर्ण पता सहित एवं

दूरभाष .... फैक्स ....ई–मेल ....

(1) ....

(2) ....

(3) ....

2.6 स्थानीय कार्यालय (संपर्क व्यक्ति) का नाम : ....

पत्र व्यवहार का पता ....

दूरभाष .... फैक्स ....

ई–मेल ....

2.7 परियोजना हेतु पंजीयन

(1) एफआईपीबी/आरबीआई अनुमोदन कमांक .... दिनांक .....वैधता अवधि ....

(2) ईओयू पंजीयन क. .... दि. .... वैधता अवधि ....

(3) आईईएम क. .... दि. .... वैधता अवधि ....

(4) लघु उद्योग अस्थायी पंजीयन क. .... दिनांक ....

2.8 परियोजना की प्रकृति (कृपया चिन्ह लगायें)

(1) नवीन

(2) विस्तार

(3) परिवर्तित

2.9 कार्यकलाप की प्रकृति (कृपया चिन्ह लगायें)

(1) विनिर्माण/एकत्रीकरण (2) प्रोसेसिंग (3) जाबवर्क (4) मरम्मत/सर्विसिंग

2.10 परियोजना का स्थान

(अ) सीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र : ....

प्लाट कमांक ....

क्षेत्रफल ....

जिला .... (छत्तीसगढ़)

(ब) सीएसआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र के बाहर : ....

ग्राम ....

तहसील ....

जिला .... (छत्तीसगढ़)

2.11 निर्माण हेतु प्रस्तावित उत्पाद

क.	उत्पाद का नाम	एनआईसी कोड	क्षमता प्रतिवर्ष (इकाई)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.12 निर्माण विधि का संक्षिप्त विवरण

....

....

....

....

2.13 सह–उत्पाद का विवरण

क.	नाम	मात्रा प्रतिवर्ष (इकाई)
1.		
2.		
3.		

2.14 कच्चे माल की आवश्यकता

क.	उत्पाद का नाम	कच्चे माल की आवश्यकता	वार्षिक आवश्यकता (इकाई)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

2.15 प्रस्तावित यंत्र–संयंत्र की सूची

क.	संयंत्र का नाम	उद्देश्य	संख्या	अश्वशक्ति	मूल्य (रूपये)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

2.16 परियोजना की अनुमानित लागत

(1) भूमि : रू. ....

(2) भूमि विकास शुल्क : रू. ....

(3) भवन (कार्यालय) : रू. ....

(4) भवन (फैक्टरी) : रू. ....

(5) यंत्र व संयंत्र : रू. ....

(6) विद्युत स्थापना व्यय : रू. ....

(7) प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र : रू. ....

(8) अन्य : रू. ....

(9) विविध : रू. ....

(10) प्रारंभिक/उत्पादन कार्यशील पूंजी रू. ....

(अ) योग : रू. ....

(ब) कार्यशील पूंजी : रू. ....

महायोग (अ+ब) : रू. ....

2.17 वित्त हेतु प्रस्तावित उपाय

(1) इक्विटी : रू. ....

(2) इंटरनल एकुएल : रू. ....

(3) पब्लिक इश्यू : रू. ....

(4) फारेन इक्विटी : रू. ....

(5) टर्म लोन बैंक/वित्तीय संस्था : रू. ....

(6) अनसेक्युरेड लोन : रू. ....

(7) अन्य : रू. ....

योग : रू. ....

2.18 प्रस्तावित रोजगार

क.	विवरण	राज्य से	राज्य से बाहर	योग
1.	अकुशल			
2.	कुशल			
3.	पर्यवेक्षकीय			
4.	प्रबंधकीय			
	योग			

2.19 परियोजना पूर्णता समय तालिका

(1) निर्माण कार्य प्रारंभ होने का दिनांक : ....

(2) परीक्षण उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक : ....

(3) व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक : ....

2.20 अन्य कोई जानकारी

....

....

....

....

परियोजना की आवश्यकता

3. भूमि

3.1.1 स्वयं की भूमि :

(1) क्षेत्र का विवरण : ....
(खसरा कमांक/रकबा हे.)

(2) ग्राम : ....

(3) तहसील : ....

(4) जिला : .... (छत्तीसगढ़)

3.1.2 सीएसआईडीसी की भूमि

(1) औद्योगिक क्षेत्र का नाम : ....
जिला : .... (छत्तीसगढ़)

(2) आवेदित क्षेत्रफल : ....

(3) निर्मित क्षेत्रफल : ....

(4) खुला क्षेत्र : ....

3.1.3 शासकीय भूमि की आवश्यकता

(1) क्षेत्र का विवरण : ....
(खसरा कमांक/रकबा हे.)

(2) ग्राम : ....

(3) तहसील : ....

(4) जिला : .... (छत्तीसगढ़)

3.1.4 निजी भूमि का अधिग्रहण

(1) क्षेत्र का विवरण : ....
(खसरा कमांक/रकबा हे.)

(2) ग्राम : ....

(3) तहसील : ....

(4) जिला : .... (छत्तीसगढ़)

3.2 जल

(अ) योजना हेतु जल की आवश्यकता : .... मिलियन घन मीटर/वर्ष

(ब) जल का स्रोत

(1) ग्राम : ....

(2) तहसील : ....

(3) जिला : .... (छत्तीसगढ़)

3.3 विद्युतभार

(1) आवश्यक विद्युतभार : .... कि.वा./हा.पा.

(2) अधिकतम विद्युतभार : .... के.व्ही.ए.

(3) विद्युत आवश्यकता दिनांक से : ....

(4) स्व–उपयोग विद्युत संयंत्र : .... मेगावाट

3.4 मानव संसाधन आवश्यकता

क.	श्रेणी	शाखा	संख्या
1.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रशिक्षित		
2.	पत्रोपाधि अभियंता		
3.	स्नातक अभियंता		
4.	विज्ञान स्नातक/स्नातकोत्तर		
5.	वाणिज्य स्नातक		
6.	स्नातक		
7.	अन्य		

भाग–1–द

घोषणा – पत्र

मैं श्री/श्रीमती .... पिता/पति श्री .... आयु .... वर्ष निवासी .... पद .... मेसर्स .... एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारी रानिप्रोबो/जिनिप्रोस जिला– ...., छत्तीसगढ़ शासन को कंपनी के द्वारा इस एकल आवेदन प्ररूप में दी गई है वह मेरी जानकारी, मान्यता एवं रिकार्ड के आधार पर सही है । मैं उपरोक्त एजेंसी या छत्तीसगढ़ शासन के प्राधिकार में आने वाली किसी भी अन्य एजेंसी को क्षतिपूर्ति से मुक्त करता हूँ, जो आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की अपूरक, गलत, त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण निर्णय लिए गए हैं तथा मेरी कंपनी प्रबंधन इस विषय में संपूर्ण जिम्मदारी लेती है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि रानिप्रोबो/जिनिप्रोस, छत्तीसगढ़ शासन अथवा ऐसी किसी एजेंसी के द्वारा कोई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण उनके आवेदन की प्रकिया में आवश्यक हुआ तो प्रदान करूंगा ।

हम यह घोषणा करते हैं कि किसी भी प्रकार का शुल्क/मूल्य छत्तीसगढ़ शासन अथवा उसकी एजेंसी द्वारा नियमों अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने प्राधिकृत किया जाएगा जैसे – जल, विद्युत शुल्क आदि या अन्य कोई शुल्क जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय–समय पर लागू किये जाएंगे वह हमें देय होगा ।

हम यह समझते हैं कि रानिप्रोबो/जिनिप्रोस के सहयोग से इस "सिंगल विण्डो क्लियरेंस" सुविधा के अंतर्गत हमारी कंपनी को वैधानिक निर्बाधन शीघ्रता से प्राप्त होंगे । हम रानिप्रोबो/जिनिप्रोस, छत्तीसगढ़ शासन को किसी भी प्रकार की उत्तरदायित्व से मुक्त करते हैं ।

स्थान :
दिनांक :
कंपनी की आधिकारिक मुद्रा

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
कृते– ....
नाम
पद नाम

तालिका – दो

(देखें नियम – 4 –(2))

अधिनियमों अथवा नियमों के अधीन विहित आवेदन प्ररूप

स.क.	निर्बाधन का नाम	प्ररूप ....विहित ....
1	2	3
1.	उद्योग स्थापनार्थ सम्मति, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 के अधीन	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम 1975 के नियम 3 के अधीन विहित प्ररूप
2.	उद्योग स्थापनार्थ सम्मति, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अधीन	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियुत्रण) (सम्मति) छत्तीसगढ़ नियम 1983 के नियम 3 के अधीन विहित प्ररूप
3.	कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन पंजीयन और अनुज्ञप्ति मंजूर करनें	छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 के नियम 6, 7, 9 एवं 10 के अधीन विहित प्ररूप 4
4.	कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन प्लान के अनुमोदन और कारखानें के रूप में किसी भवन का निर्माण करने/उसका विस्तार करनें/उपयोग करनें के लिए अनुज्ञा	छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 के नियम 3–क के अधीन विहित प्ररूप 1–क
5.	कारखाना अधिनियम 1948 के अधीन स्थल अनुमोदन खतरनाक प्रकिया वाले कारखानों के लिए	छत्तीसगढ़ कारखाना नियम 1962 के नियम 3 के अधीन विहित प्ररूप–1
6.	संविदा श्रमिक (विनिमय एवं समाप्ति) अधिनियम 1970 के अधीन स्थापनाओं का पंजीयन	संविदा श्रमिक (विनिमय तथा समाप्ति) छत्तीसगढ़ नियम 1973 के अधीन विहित प्ररूप–1
7.	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 के अधीन पंजीयन	छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम 1995 के नियम 8–1 के अधीन विहित प्ररूप–4
8.	केन्दीय विकय कर अधिनियम 1956 के अधीन पंजीयन	केन्दीय विकय कर (रजिस्ट्रीकरण और व्यापारावर्त नियम 1957) के नियम 3 के अधीन विहित प्रारूप–क
9.	भूमि विकास – छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन अनुज्ञा हेतु	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश नियम 1975 के नियम 12 के अधीन विहित प्रारूप–7
10.	छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन किसी भवन के विकास, निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा उसके किसी भाग में परिवर्तन करने के लिए अनुज्ञा	छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियम 17 (1) में विहित परिशिष्ट–क
11.	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि पर गैरवानिक प्रयोजन हेतु आवेदन	वन (संरक्षण नियम 2003) के. अधीन विहित प्ररूप–क, भाग–1

तालिका – तीन

(देखें, नियम – 4 (2))

प्रशासनिक विभाग द्वारा विहित आवेदन प्ररूप

स.क.	निर्बाधन का नाम
1	2
1	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में लघु उद्योग का प्रस्तावित पंजीयन
2	सीएसआईडीसी की औद्योगिक भूमि का आबंटन
3	शासकीय भूमि का आबंटन
4	निजी भूमि का अधिग्रहण
5	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र / उद्योग संचालनालय द्वारा स्टाम्प शुल्क से छूट प्रमाण पत्र
6	स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र
7	ग्राम पंचायत से भवन निर्माण अनुमति
8	भूमि व्यपवर्तन की अनुमति
9	जल संसाधन विभाग द्वारा जल आबंटन स्वीकृति
10	सी.एस.ई.बी. द्वारा विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र
11	सी.एस.ई.बी. द्वारा एल.टी. कनेक्शन विद्युत प्रदाय की स्वीकृति
12	सी.एस.ई.बी. द्वारा एच.टी. कनेक्शन विद्युत प्रदाय की स्वीकृति
13	विद्युत निरीक्षक द्वारा रेखाचित्र का अनुमोदन
14	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों हेतु सरलीकृत प्रकिया के अंतर्गत पर्यावरण सम्मति
15	भारतीय बायलर अधिनियम 1953 के अंतर्गत बायलर का पंजीयन
16	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों का स्थायी पंजीयन
17	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा वृहद एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को उत्पादन प्रमाण पत्र

प्ररूप – तीन

(देखें नियम – 5 – (एक))

आवेदन पत्र पंजी

(अ) आवेदन पत्र कमांक – रानिप्रोबो/जिनिप्रोस ....

(ब) निवेशक/कंपनी का नाम एवं पता – ....

....

दूरभाष कमांक ....

(स) संपर्क व्यक्ति – ....

....

दूरभाष कमांक ....

(द) उत्पाद – ....

....

(इ) निवेश – रूपये – ....

(फ) संयंत्र का स्थान – ....

....

(य) पावती विवरण – कमांक – ....

दिनांक – ....

राशि – ....

स.क.	निर्बाधन का प्रकार	सक्षम प्राधिकारी का नाम	नोडल एजेंसी द्वारा अभिस्वीकृति का दिनांक	सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कमी की पूर्ति, यदि कोई हो, के उपरान्त प्राप्ति दिनांक	सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय का प्राप्ति दिनांक	नोडल एजेंसी द्वारा निर्णय की संसूचना दिनांक	संसूचित किए गए निर्णय का प्रकार	टीप
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप — चार

(देखें नियम — 5 (3))

कार्यालय, ...

अभिस्वीकृत करता है कि आवेदन पत्र क्रमांक | रानिप्रोबो/जिनिप्रोस जिला ..../.......... |
द्वारा मेसर्स ....
........पता...
.... (अनुमोदन का नाम) ....
....
.... हेतु दिनांक .... द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड / जिला निवेश प्रोत्साहन समिति, जिला .... (छत्तीसगढ़) प्राप्त किया ।

आवेदन पत्र के निराकरण हेतु समयसीमा / /200 है ।

(दो प्रतियों में जारी)

हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

सक्षम प्राधिकारी / प्राधिकृत प्रतिनिधि

दूरभाष क्रमांक ....

प्ररूप – पांच
(देखें नियम – 5 (6))

आवेदन पत्र पर आदेश की संसूचना

प्रति,

मेसर्स ....

....

....

कृपया अपने आवेदन पत्र कमांक | रानिप्रोबो/जिनिप्रोस जिला ..../................ |
दिनांक .... को एकल आवेदन प्ररूप में प्रस्तुत निम्नलिखित अनुमोदन, अनुमति प्राप्ति का संदर्भ करें ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल अनुमोदन, अनुमति एतद संलग्न है ।

हस्ताक्षर
प्राधिकृत प्रतिनिधि
नोडल एजेंसी

दिनांक :
स्थान :